भारतीय कानून रिर्पोटें

समक्ष जी आर मजीठिया जे जे

दरयाओं सिंह और अन्य - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 9687

19मार्च 1991

हरियाणा नहरें एवं जल निकासी अधिनियम 1974 एस 17 आउटलेट - ग्रैन आॅफ चावल का अंकुरक्या आउटलेट अधिनियम के अर्थ के भीतर षूट पालिसी ऐसी पालिसी की वैधता।

यह माना गया कि चावल का अंकुर विषुद्व रूप से केवल एक फसल के लिए एक अस्थायी अनुबंध अंकुर है । राईस षूटस को सामान्य जल भते से अधिक पूर्व जल आपूर्ति देने के लिए मंजूरी दी जाती है । इन राईस षाॅ के माध्यम से सिंचाई के लिए कोई भी क्षेत्र स्थायी रूप से आबंटित नहीं किया जाता है। क्षेत्रों कोउसी तरीकेसे सिंचाई मिलती है जिस तरह से चावल का अंकुरकी मंजूरी से पहले अनुमति दी गई थी । राईस षूटस को केवल अतिरिक्त जल आपूर्ति की मंजूरी दी गई है। जिससे किसी भी तरह से मौजूदा जल आपूर्ति कम नहीं होगी । चावल का अंकुरको आउटलेट के रूप में जाना जा सकता है, लेकिन वास्तव में अधिनियम की धारा 1 के खंड (बी) के अर्थ में राईस सूट आउटलेट नहीं हैं|

माना जाता है कि जिस उददेषय से चावल का अंकुरनीति बनाई गई है वह राश्ट्र के हित में है ताकि चावल की खेती के लिए अधिक उपयुक्त क्षेत्र में अधिक चावल उगाया जा सके । मैं असाधारण अधिकार क्षेत्र में नीति में हस्तक्षेत्र करने के लिए इच्छुक नहीं हूं, जिसका उपयोग मुख्य रूप से अन्याय को रोकने के लिए किया जाता है , न कि जनता की उन्नति के लिए राज्य के सही कार्यो पर अंकुष लगाने के लिए । नीति को अतिरिक्त रूप से इस कारण से बरकरार रखा जाता है कि सरकार अपने विवेक से चावल की खेती के लिए नहर के पानी की अतिरिक्त आपूर्ति को विनियमित करने के उददेषय से निदेर्ष जारी करने के बारे में सोचा गया।

आगे कहा गया , कि अधीक्षण नहर अधिकारियों के लिए कोई दिषा निर्देष नहीं है जो ऐसे चावल षूट को मंजूरी देने मेंसक्षम हैं संभव है कि चावल का अंकुरमांगने वाले पात्र आवेदकों की संख्या सरकार द्वारा लागू नीति के अनुसार अनुमति से कहीं अधिक हो । पात्र आवेदनकर्ता को कठिनाई से बचाने के लिए इस निर्णय में निर्धारित प्रक्रिया अधीक्षण नहर अधिकारियों द्वारा अपनाई जानी चाहिए ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि माननीय न्यायालय कृप्या

1. मामले के रिकाॅड को तलब करने और कोयल माईनर पर चावल षूट 9100 एल 4500 आर और 1560 आर को मंजूरी देने के आदेष को रद करने और साईट पर उनकी स्थापना को रद करने के लिए एक उचित रिट, आदेष या निर्देष जारी करें और

2. परमादेष या किसी अन्य उपयुक्त तरीके से रिट जारी करना उतरदाताओं को रोकने के लिए रिट , निर्देष या आदेष सरकार का उल्लंघन कर कोयल माईनर पर राईस ष्ूाट लगाना नीति एवं नियम अनुबंध पी 2 और

3. कोई अन्य उचित आदेष निर्देष और आदेष जो याचिकाकर्ताओं की षिकायत के निवारण के लिए आवषयक और समीचीन हो और

4. याचिकाकताओ को प्रस्ताव के नोटिस की उन्नत प्रतियां देने से छूट दी जाएगी और

5. याचिकाकर्ताओं को अनुलग्नक पी 1 से पी 3 की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट और

6. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान उपरोक्त राईस षूटस कोयल माईनर के संचालन पर अंतिरिम रोक लगाना और

7. याचिकाकर्ताओं को रिट याचिका की लागत की अनुमति दें।

याचिकाकर्ता के वकील ,रणदीप सुरजेवाला।

रामेषवर मलिक , अधिवक्ता और राजेष चैधरी , अधिवक्ता। उतरदाताओं के लिए ।

निर्णय

जी आर मजीठीया जे

1. याचिकाकर्ताओ ने इस रिट याचिका में मेमों नम्बर 9/1 आर एस आई ई (3) दिनांक 28 मई ,1990 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 दवारा अनुमोदित खरीफ 1990के लिए चावल षूट की नीति चुनौती दी है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत।

तथ्य पहले

2. याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 कोयल गांव के हकदार हैं और कोयल माईनर पर स्थापित आउटलेट में षेयरधारक हैं।याचिकाकर्ता संख्या 3 गांव कोयल की ग्राम पंचायत है ।हरियाणा राज्य में दो मुख्य नहर प्रणालियां हैं , अर्थात 1. भाखडा नहर प्रणाली और (पप) पषिचमी जमुना नहर प्रणाली । याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 की भूमि कोयल माईनर के माध्यम से सिंचित होती है जो भाखडा नहर प्रणाली की धमतान वितरिका से बहती है ग्राम कोयल में लगभग 9500 एकड़ कृशि योग्य क्षेत्र है । इसके दो आउटलेट (मोगा)कुरार गांव के साथ सांझा थे , जिसमें उनका हिस्सा 24 घंटो मेंसे बमुषिकल 8 घंटे थ। कोयल माईनर स्वीकृत कियागया (धमतान डिस्ट्रीब्यूटरी से बाहर) जिसका संचालन लगभग 28 से 30 वर्शो में षुरू हुआ। इसकी पूंछ कोयल गांव में है और उचित सिंचाई के लिए गांव कोयल के भूस्वामियों को तीन आउटलेट स्वीकृत किए गए थे लगभग पांच वर्शो के बाद कुरार गांव के लिए एक और आउटलेट स्वीकृत किया गया । और इस प्रकार कोयल माईनर के पास चार आउटलेट हो गए। कोयल माईनर की अधिकतम क्षमता 5.79 क्यूसेक है।

(3) प्रतिवादी क्रमांक 1 ने चावल का अंकुरअनुदान के लिए एक नीति बनाई है प्रतिवादी नंबर 5 के कुरार गांव में कुंछ समर्थक है और उन्होने 1939 में धान के मौसम के दौरान कोयल

माईनर पर चावल का अंकुरलगवाया था इससे टेल पर पानी की भारी कमी हो गई और कोयल गांव के निवासियों को सिंचाई के लिए न्यूनतम पानी भी नहीं मिल सका , क्योंकि धान के बिचडे टेल पर रहते हुए उपर की ओर लगाए गए थे प्रतिवादी संख्या 5 के आदेष पर कथित तौर पर नीतिगत निर्णय की षर्तो का उल्लंघन करते जुए कुरार गांव के भूस्वामियों के उपयोग लिए कोयल माईनर पर 4500-आर चावल का अंकुरसिंचाई चैनल में मेंएक आउटलेट है जिसका उददेषय वितरण करना है। विषेश रूप से चावल की खेती के लिए क्षेत्र की सामान्य जल सीमा से अधिक का निर्वहन एक नया आउटलेट केवल हरियाणा नहर और जल निकासी अधिनियम 1974 (संक्षेप में, अधिनियम) की धारा 17 के तहत एक मसौदा योजना तैयार करके प्रदान किया जा सकता है जिसे अधिनियम की धारा18 के तहत अंतिम रूप् दिया जाना है । अधिनियम की धारा17 एवं 18 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

परिणामस्वरूप अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए राईस षूटस को मंजूरी देने की नीति षुरू से ही अमान्य है।

(4) उतरदाताओं संख्या 2 से 4, प्रतिवादी संख्या 5 और उतरदाताओं संख्या 6 से 9 की ओर से लिखित बयान दायर किए गए हैं। उतरदाताओं संख्या 2 से 4 ने याचिका में लगाए गए भौतिक आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि आर डी 10200 टी आर पर तीन आउटलेट 10200 टी आर और 10200 टी सी जो गांव कोयल के 1919/1812 एकड क्षेत्र को सिंचित करते हैं और 881/872 जी ए / सी सी ए के क्षेत्र के लिए गांव कुरार के लिए एक अलग आउटलेट आर डी 9415 - आर कोयल माईनर जब भी कोयल माईनर चलता है , के सभी तीन आउटलेट

कोयल गांव को नहरी पानी की पूर्ण अधिकृत आपूर्ति मिले रबी फसल के लिए कोयल गांव माईनर का अधिकृत डिस्चार्ज 5.79 क्यूसेक है चैनल को आधुनिक बनाया गया है लाईन किया गया है और इसमें अतिरिक्त ले जाने की क्षमता है| यहां तक कि 12.81क्यूसर (उस इनफ्री बोर्ड सहित)तक की भी छुटी दे दी जाती है। मूल चैनल, ले धमतम उप-षाखा में इंटेंटेड आपूर्ति चलती है। चावल का अंकुरकी मंजूरी /स्थापना के बाद भी कोयल माईनर की पूंछ प्रभावित नहीं होती है । कोयल माईनर की टेल 1-0 की अधिकृत आपूर्ति तक या उससे अधिक चल रही है , चावल का अंकुरको मंजूरी देते समय,यह सुनिषिचत किया गया है कि राइस षूट की स्थापना के साथ, टेल में कोई कमी न हो जो कि सबसे महत्वपूर्ण मानदंडो में से एक है । चावल का अंकुरनीति के पैरा 3 नियम (0)के अनुसार। इस प्रकार कोयल माईनर पर तीन चावल का अंकुरकी स्थापना से अधिकृत नहर का पानी प्राप्त करने में टेल सिंचाई करने वालों के अधिकार किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगें।अधीक्षक अभियंता उन चैनलों पर चावल षूलों को मंजूरी दे सकता है जो पहले से ही पैरा 3 नियम (चाइस षूट नीति के ग्प्ट) के अनुपालन में आधुनिकीकरण किए गए हैं। तत्काल मामलें में कोयल माईनर उच्च निर्वहन ले जाने के लिए एक आधुनिक वेड चैनल है और किया गया है लंबी सिंचाई के अधिकारों को प्रभावित किए बिना चावल के अंकुरों की आवष्यकता को पूरा करना, लंबे समय तक सिंचाई करने वालों को अभी भी 10 फीट से कम की पूंछ के साथ अधिकृत नहर के पानी की आपूर्ति की जा रही है, जब मूल चैनल, ले, धमतान उप-षाखा को अपने प्रमुख (चंदना रेगू) से पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त होती है । इस (लेषन कॉम्प्लेक्स) इस बात को जोरदार खंडन किया गया था कि चावल के अंकुरो की स्थापना के बाद माईनर की पूछं में गड़बडी होती हैै । इस बात पर प्रकाष डाला गया था कि चावल के अंकुरो को एक विषेश क्षेत्र में बावी एकाग्रता बनाए रखने के लिए सिरे से उंचाई तक फैलाया गया है । आर डी -1560-आर4500-आर और 9100-आर पर मंजूरी दे दी गई, जबकि

माईनर की लंबाई आर डी-1000 पर है, इस बात से इनकार किया गया कि अधिनियम की धारा 17(सी) के तहत चावल का अंकुरएक आउटलेट है। अधिनियम के तहत प्रदान किए गए आउटलेट और राइस षूट पाॅलिसी के तहत प्रदान किए गए अस्थायी मौसमी आउटलेट की प्रमुख विषेशताएंः-

अधिनियम के तहत आउटलेट प्रदान किया गया

चावल का अंकुरनीति के तहत मौसमी आउटलेट प्रदान किया गया

(ए) आउटलेट एक स्थायी प्रकृति का है।

(ए) चावल का अंकुर केवल एक फसल के लिए पूरी तरह से अस्थायी अनुबंध षूट है।

(बी) अधिक्षण नहर अधिकारी 0.75 क्यूसेस से कम , यानी 312 एकड सक कम क्षेत्र के लिए किसी भी डिस्चार्ज आउटलेट को मंजूरी नहीं दे सकता है।

(बी) केवल 20 एकड के अधिक भूमि के एक ब्लाॅक के खिलाफ किसी भी निर्वहन के लिए चावल षूॅट को सर्कल के अधीक्षक अभियंता द्वारा मंजूरी दी जा सकती है।

अधिनियम के तहत आउटलेट प्रदान किया गया

चावल का अंकुरनीति के तहत मौसमी आउटलेट प्रदान किया गया

(सी) जल षुल्क अधिनियम की धारा 31 और नियम 27-30 ,41, 42 और 44 से 48 के अनुसार निर्धारित है ।

(सी) पानी की दरें चावल का अंकुरनीति के पैरा एक नियम(गग) के अनुसार ली जाती हैं।

(डी) धारा के तहत आउटलेट अधिनियम के 17(सी) के तहत गैर अधिकृत सिंचाई के मामलें में षामिल भूमि के एक टुकडे को भी अनुदान दिया जा सकता है।

(डी) पैरा और नियम(1) के अनुसार पिछले वर्श के दौरान अनाधिकृत घुसपैठ का दोशी पाए गए व्यक्ति को कोई भी चावल षूट, भले ही अस्थायी हो, स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

(ई)धारा के तहत मांगे गए आउटलेट के मामले में कोई आवेदन षुल्क नहीं है प्रासंगिक न्यायालय षुल्क को छोडकर अधिनियम की धारा 17

(ई)आवेदन षुल्क रूप्ये 300 चाहिए चावल का अंकुर पाॅलिसी के नियम (अपप) के अनुसार एक बार जमा किया गया षुल्क वापस नहीं किया जाएगा ।

(एफ) आउटलेट की स्थापना से पहले अनुबंध के लिए किसी लिखित समझौते की आम तौर पर आवष्यकता नहीं होती है।

(एफ)चावल का अंकुर की मंजूरी अनिवार्य रूप से सरकार और उपभोक्ता

(छ) भाखडा नहर प्रणाली के मामले में आमतौर पर प्रति 1000 एकड 2.4 क्यूसेक के सामान्य जल भत्ते पर एक आउटलेट स्वीकृत किया जाता है।

(छ) चावल का अंकुर को विषेश रूप से चावल की खेती के लिए लागू सामान्य जल भत्ते के अधिक जल निकासी प्रदान करने के उददेषय से स्वीकृत किया गया है । इन्हे भाखडा नहर कमांड में प्रति 1000 एक डमें 7.5 क्यूसेक जल भत्ते के साथ मंजूरी दी गई है।

यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को इन चावल के अंकुर की स्थापना के बाद भी नहर के पानी की अधिकृत हिस्सा मिल रहा है।

(5) प्रतिवादी संख्या 5ने अपने लिखित ब्यान में इस आरोप का खंडन किया कि आरोप गलत हैं।

(6) उत्तरदाताओं संख्या 6 से 9 ने अपने लिखित ब्यान में लगभग उन्ही कथनों का उल्लेख किया है जो उतरदाताओं की संख्या 2 से 4 की ओर से अपने लिखत ब्यान में दिए गए हैं। यह कहा गया है कि कोयल गांव की 1919/1812 एकड बंजर भूमि पर कोयल का कब्जा है। मेरा और आर डी 100टी एल ,10,000 टी आर और हा टी सी पर तीन आउटलेट हैं और आर डी पर गांव कुरेर के लिए एक आउटलेट है क्रमांक 9415 -8 कोएल माईनर जो 881/972 पषिचम क्षेत्र को नियंत्रित करता है और तीन आउटलेट जो टेल पर हैं उन्हे नहर के पानी की पूरी आपूर्ति मिलती है कोएल माईनर कुरार गांव की राजस्व संपति से होकर गुजरती है, जो कुरार के ग्रामीणों की कृशि भूमि को विभाजित करती है और बस इसका नाम माईनर केएल मिट का मतलब यह नहीे है कि यह विषेश रूप से कील गांव के लिए है कोयल माईनर को अधिकृत डिस्चार्ज रबी चाप के लिए 5.79 क्लूसी है और खरीफ सीजन के दौरान प्रत्येक मोर में 10 प्रतिषत अतिरिक्त आपूर्ति जोडी जाती है पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता हजै । कोयल माईनर के आधुनिकीकरण ने धमतल जिले की आपूर्ति बाधित होने पर अतिरिक्त डिस्चार्ज को 1281 सीई (फ्री बोर्ड सहित) तक ले जाने की क्षमता बढा दी है। चावल के अंकुर की मंजूरी /स्थापना के बाद टाल के तीन आउटलेट प्रभावित नहीं होगें। खरीफ 1990 के लिए धान के अंकुरो की

नीति यह सुनिषिचत करती है कि टाल पर पूरी आपूर्ति हो और टेल पर उपलब्ध डिस्चार्ज एक फुट के स्वीकृत डिस्चार्ज से अधिक हो। बताया जाता है कि चावल के अंकुर आर डी नंबर 4500 आर और एक्स डी संख्या 9100-आर पर चावल षूट वर्श 1979 से स्वीकृत किए जा रहे हैं और माईनर और आर डी एक्स संख्या 1560-आर पर नए चावल षूट को माईनर को माईनर के कुषल प्रदर्षन को ध्यान में रखते जुए मंजूरी दी गई है। सरकारी योजना के तहत ग्रामीणां को अधिक चावल उगाने की आवष्यकता। चावल के तीन अंकुरो का स्थान ही नहर की आपूर्ति की भारी सघनता से बचने के लिए चावल के अंकुरो के उचित प्रसार को साबित करता है। चावल का अंकुर नीति के तहत चावल के अंकुरों की सख्ती से सफाई की गई है और याचिकाकर्ताओ को किसी भी तरह से नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि उन्हे टेल पर आपूर्ति मिल रही है|

(7). याचिकाकर्ताओ ने आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा दायर लिखित बयान में दिए गए तथ्यात्मक कथनों का खंडन नहीं किया ।प्रतिकृति । उन कथनों को सही मानना होगा। अधिकारी उतरदाताओं ने स्पश्ट षब्दों में इस प्रकार कहा हैः-

(i) याचिकाकर्ताओ को अभी भी उनका अधिकृत हिस्सा मिल रहा है । चावल का अंकुर लगाने के बाद भी उनको अधिकृत नहर का पानी मिल रहा है।

(ii.) चावल के अंकुरो को मंजूरी देने से पहले, यह सुनिषचत किया जाता है कि सिंचाई चैनल में एक आउटलेट केवल यह सुनिषचत करने के बाद ही प्रदान किया जाता है कि क्षेत्र के सामान्य जल भत्ते में गड़बड़ी नहीं होती है।

(iii) 10 क्यूसेस की क्षमता तक किसी चैनल पर कोई चावल का अंकुर स्थापित नहीं किया जाना है और यह भी ध्यान रखना है कि अतिरिक्त 10 प्रतिषत क्षमता एफ.एस.लाईन का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए , सिवाय इसके कि जहां चैनल पहले से ही संषोधित किया गया हो और खरीफ के दौरान 10 प्रतिषत से अधिक की पूर्ण क्षमता ले जाने के लिए तैयार किया गया हो।

(iv) सिंचाई चैनल में अस्थायी आउटलेट को विषेश रूप से चावल की खेती के लिए क्षेत्र के सामान्य जल भत्ते से अधिक निर्वहन प्रदान करने के उददेष्य से स्वीकृत किया गया है।

ये कथन याचिकाकर्ताओ के आरोपों को झुठलाते हैं कि कोयल माईनर पर चावल का अंकुर उपलब्ध कराने से उनकी जल आपूर्ति प्रभावित हुई है। मेरे लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि चावल के अंकुर को मंजूरी देने का उददेष्य चावल की खेती के लिए अतिरिक्त पानी की आपूर्ति प्रदान करना है। जिस उददेष्य से यह नीति बनाई गई है वह सराहना के योग्य है।

(8) याचिकाकर्ताओ के विद्वान वकील ने इस बात पर प्रकाष डाला है कि नीति में प्रदान किए गए अस्थायी चावल का अंकुर अधिनियम की धारा 1 के खंड (बी) में प्रदान की गई आउटलेट की परिभाशा के अर्थ में आते हैं और एक नया आउटलेट हो सकता है। अधिनियम की धारा 17 के तहत एक नई मसौदा योजना तैयार करने के बाद ही प्रदान की जाएगी। चूंकि इन वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आउटलेट प्रदान किया गया है, इसलिए इसे अमान्य कर दिया गया है। प्रस्तुतीकरण योग्यता से रहित है। चावल का अंकुर को सामान्य जल भत्ते के अलावा अतिरिक्त पानी की आपूर्ति देने के लिए मंजूरी दी जाती है । इन चावल के अंकुर के माध्यम से सिंचाई के लिए कोई नया क्षेत्र स्थायी रूप से आंबटित नहीं किया जाता है । क्षेत्रों में सिचाई

प्राप्त होती है उसी तरह जैसे कि चावल के अंकुरो की मंजूरी से पहले अनुमति दी गई थी चावल के अंकुरो को केवल अतिरिक्त पानी की आपूर्ति को कम या कम नहीं करेगा चावल के अंकुरो को आम तौर पर आउटलेट के रूप में कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में अधिनियम की धारा 1 के खंड(बी) के अर्थ में राईस सूट एक आउटलेट नहीं है यदि पालिसी में दी गई राईस षूट षब्द की षब्द की परिभाशा कोउन षर्तो के साथ पढा जाए जिन पर इसे मंजूरी दी जानी है, तो यह स्पश्ट षब्दों में स्थापित हो जाएगा कि यह धारा 1 बी के अर्थ के तहत एक आउटलेट नहीं है। अधिनियम जैसा कि मैनें पहले देखा, चावल का अंकुर उपलब्ध कराने का उददेषय डिलीवरी करना हैके सामान्य जल भत्ते से अधिक विषेश रूप से चावल की खेती के लिए क्षेत्र. चावल का अकुंर की मंजूरी से हक धारकों/भूस्वामियों को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, जिस उददेषय से यह नीति बनाई गई है वह राश्ट्र के हित में है ताकि उस क्षेत्र में अधिक चावल उगाया जाए जो चावल की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है मैं उस असाधारण क्षेत्राधिकार वाली नीति में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूं जिसका उपयोग मुख्य रूप से अन्याय को रोकने के लिए किया जाता है , न कि सार्वजनिक भलाई की उन्नति के लिए राज्य के सही कार्यो पर अंकुष लगाने के लिए । नीति को अतिरिक्त रूप से इस कारण से बरकरार रखा गया है। सरकार ने अपने विवेक से चावल की खेती के लिए नहर के पानी की अतिरिक्त आपूर्ति को विनियमित करने के उददेष्य से निर्देष जारी करने के बारे में सोचा ।बगीचों और बगीचों के लिए नहर के पानी की आपूर्ति को विनियमित करने के लिए इसी तरह के निर्देष जारी किए गए थे और इस न्यायालय ने बंत सिंह और अन्य बनाम मान सिंह और अन्य में 1, इसे निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ बरकरार रखा-

ऐसे कोई नियम नहीं है जो बगीचों और बगीचों के लिए नहर के पानी की आपूर्ति को विनियमित कर सके। जो नियम अस्तित्व में है, वे केवल भूमि के लिए नहर के पानी की

आपूर्ति को विनियमित करने का प्रावधान करते हैं । सरकार ने अपने विवेक से इसके लिए कुछ निर्देष बनाने के बारे में सोचा। बगीचों और बगीचों के लिए नहर के पानी की अतिरिक्त आपूर्ति को विनियमित करने के उददेष्य से और उपयुक्त अनुपूरक के साथ उन निर्देषों को आज तक लागू किया गया है । जाहिर है, ये निर्देष मौजूदा नियमों के पूरक के लिए जारी किए गए थे, जो आपूर्ति के सवाल पर चुप थे बगीचों और बगीचों के लिए नहर के पानी की आपूर्ति के लिए निर्देष जारी करते हुए बगीचों और बगीचों के लिए नहर के पानी की आपूर्ति के लिए एक पूर्ण और विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई थी , ये निर्देष किसी भी तरह से मौजूदा नियमों में संषोधन या परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि वही है अंतर को भरने और मौजूदा नियमों को पूरक करने का प्रभाव । ऐसा पाठयक्रम कानुनी रूप से स्वीकार्य है ।कार्यकारी निर्देषों में कानुन का बल है।

इस मामले में स्थिति मौजूदा मामले के तथ्यों के अनुरूप प्रतीत होती है।

9. हालांकि , इस निर्णय से अलग होने से पहले, यह उजागर किया जाना चाहिए कि खरीफ ,1991 के दौरान चावल का अंकुर अस्थायी आउटलेट की स्थापना के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित नीति में अधीक्षण नहर अधिकारियों के लिए कोई दिषानिर्देष नहीं है। ऐसे चावल अंकुरो को मंजूरी देने में समक्ष यह संभव है कि अनुमोदित नीति के अनुसार अनुमेय से कहीं अधिक हो सकती है। पात्र आवेदको को कठिनाई से बचाने के लिए अधीक्षण नहर अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

1. सबंधित संभागीय नहर अधिकारी किसी विषेश वर्श में सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार पात्र व्यक्तियों के आवेदनों की जांच और निर्णय करेगा। वह इन सभी मामलों को उन

मामलों के साथ भेजेगा जो उसके द्वारा पात्र नहीं हैं नए कटलेट की मंजूरी के लिए अधीक्षण नहर अधिकारी । वह इन मामलों के पात्र नहीं होने के कारण बताते हुए रिर्पोट भी भेजेगें।

2. यदि कुछ आवेदक अपने आवेदन की पात्रता के बारे में प्रभागीय नहर अधिकारी के निर्णय से संतुश्ट नहीं है, तो उन्हे ड्रा की वास्तविक तिथि से कम से कम दो दिन पहले या अधीक्षण नहर से संपर्क करने का अधिकार होगा अधीक्षण नहर अधिकार ड्रा की तिथि से पहले उसके मामले का निर्णय लेगें और आवषक कारवाई करेगें।

3. संभागीय कैमल अधिकारी की सिफारिषें प्राप्त होने के बाद, अधीक्षण नहर अधिकारी सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप उस चैनल पर कितने अस्थायी नए आउटलेट स्वीकृत कर सकते हैं, इसके बारे में निर्णय लेगा यदि पात्र आवेदकों की संख्या अनुमेय आउटलेट की संख्या से अधिक है, तो वह एक दिन में आयोजित होने वाले ड्रा के आधार पर देखभाल का निर्णय लेने की व्यवस्था करेगा और कम से कम 10 दिनों का समय तय किया जाएगा ।अग्रिम

4. पात्र आवेदकों की सूचि अधिसूचित की जाएगी और विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ड्राॅ कम से कम तीन राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किया जाना चाहिए, जिन्हे अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिनके अध्यक्ष पद पर ड्राॅ आयोजित किया जाएगा । वहां कम से कम एक अधिकारी को संबधित चैनल के संचालन और मुख्य किरायेदारी से नहीं जोडा जाना चाहिए । यदि आवेदक चाहें तो उन्हे ड्रा के आधार पर , नए आउटलेट को अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए और मुख्य नहर अधिकारी को एक सूचना भेजी जानी चाहिए ।

5. अधीक्षण नहर अधिकारी के निर्णय से पीडित कोई भी व्यक्ति निर्णय के एक सप्ताह के भीतर मुख्य नहर अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करके इसे चुनौती दे सकता है, जो इसका षीघ्र निपटान करेगा

(10) उपरोक्त कारणोंसे रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेष नहीं दिया गया है हालांकि यह निर्देषित किया जाता है कि चावल की षूटिंग को मंजूरी देते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निर्णय के पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्धारित दिषानिर्देषों को लागू किया जाएगा ।

एस सी के

समक्ष एन के सोढी जे

साधु सिंह -- याचिकाकर्ता

श्रम आयुक्त , पंजाब चंडीगढ और अन्य - प्रतिवादी

1985 की सिविल रिट याचिका संख्या 3246

30 अप्रैल 1991

औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 एस 10 राज्य सरकार ने जनवरी 1977 में विवाद को संदर्भित करने से इनकार कर दिया और कार्यकर्ता को विधिवत सूचित कियागया कर्मचारी को

आठ साल तक सेवा में रखा गया , अब 1985 में सेनोट ने इस विलम्बित चरण में सरकार के संदर्भ को अस्वीकार करने के आदेष को चुनौती दी ।

मानया गया कि अब तक लगभग 15 साल बीत चुके हैं जब याचिकाकर्ता की सेवाएं जुलाई 1978 में कथित तौर पर समाप्त कर दी गई थी और राज्य सदंभित करने से इनकार करने के बाद वह आठ साल तक चुप रहा । राज्य सरकार को मामले पर नए सिरे से पुर्नविचार करने और इस अंतिम चरण औधोगि षांति के हित में नहीं होगा । इस प्रकार, रिट याचिका अत्याधिक देरी के आधार पर खारिज करने योग्य है।

पैरा 4

राम अवतार षर्मा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य ए एल आर 1965 एस सी 915

(विषिश्ट)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 225/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि याचिका स्वीकार की जाए और

1. उतरदाताओ को मामले का संपूर्ण रिकार्ड प्रस्तुत करने का निर्देष दिया जा सकता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा